



सं० प्रशा०/ले०प०/ए० क्रम फाईल/2024/76

दिनांक: 03.04.2024

कार्यालय आदेश (प्रशासन)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश की नियमावली (लेखा परीक्षा) के अनुच्छेद 2.1.27 में निहित निर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यालय के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं की तैयारी/अंतिम रूप देने के लिए एक लेखापरीक्षा योजना समूह के गठन के आदेश दिए हैं।

कार्यात्मक लेखापरीक्षा शाखाओं (लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह) के सभी समूह अधिकारी तथा प्रशासन व राज्य वित्त रिपोर्ट के प्रभारी समूह अधिकारी इस लेखापरीक्षा योजना समूह के सदस्य होंगे।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न मुद्दों जहां लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है को सम्बोधित करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला उक्त लेखापरीक्षा योजना समूह के आमंत्रित सदस्य होंगे।

समूह को एक लेखापरीक्षा योजना सेल द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सभी लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह के मुख्यालय/ए०आर०सी० में तैनात वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उक्त लेखापरीक्षा योजना समूह की संयोजक होंगी तथा यह समूह लेखापरीक्षा योजना की तैयारी, अंतिम रूप दिए जाने तथा कर्तव्यन्ययन के लिए शीर्ष निकाय होगा।

समूह की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी।

In terms of instructions contained vide para 2.1.27 of the Comptroller & Auditor General's Manual of Standing Orders (Audit), the competent authority has constituted an Audit Planning Group (APG) for preparation/finalisation of Annual Audit Plans for this office.

The Audit Planning Group shall consist of Group officers of functional audit wings viz. all Audit Management Groups along with the Group officer in charge of the administration and State Finance Report.

Further, the Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla shall be an invitee to the Audit Planning Group for addressing various issues where close coordination in exchange of information between audit and accounts offices is necessary.

The group shall be assisted by an *Audit Planning Cell* comprising of Sr. Audit Officers (Hqrs./ARCs) of all the Audit Management Groups.

The Pr. Accountant General (Audit) will function as the convener of the Audit Planning Group, which shall be the apex monitoring body for preparation, finalisation and implementation of the audit plan.

The meeting of the group shall be convened at least once every quarter.

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 01.04.2024)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक: 03.04.2024

पृ०सं० प्रशासन/ले०प०/विविध /2023-25/97-106

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश शिमला
3. निजि सहायक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन एवं राज्य वित्त)
4. निजि सहायक, सभी समूह अधिकारी
5. कल्याण अधिकारी
6. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)